राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक :– प.7(5)प्रशि / आयो / प्रशिक्षण / 2017 जयपुर, दिनांक 12.01.2018

आदेश

B.Ed. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को द्वितीय चरण में इन्टर्नशीप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने के संबंध में इस विभाग द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 08.12.2017 एवं 12.12.2017 द्वारा जारी किये गए हैं । B.Ed. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को द्वितीय चरण में प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 03.01.2018 के द्वारा इन्टर्नशीप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन शाला दर्पण पोर्टल से 'ऑनलाईन आवंटन' मोड्यूल के द्वारा किया गया है ।

समस्त प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा Online submit Choice के 10 विद्यालयों में से वरीयतानुसार "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर राजकीय विद्यालय आवंटन किया गया हैं । परंतु Online submit Choice के 10 विद्यालयों की प्रशिक्षण महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा गलत च्वाईस भरे जाने के कारण प्रशिक्षणार्थियों को असुविधाजनक विद्यालय आवंटित होने के संबंध में परिवेदनाएँ प्राप्त हो रही है । प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. B.Ed. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को द्वितीय चरण में इन्टर्नशीप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं पर निर्णय करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :–

   1. अति. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर – अध्यक्ष
   2. उप शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) – सदस्य
   3. उपायुक्त द्वितीय, रमसा जयपुर – सदस्य
   4. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक, NIC, जयपुर – सदस्य
   5. अनुसंधान अधिकारी , प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) – सदस्य
   6. डॉ. देवेन्द्र जोशी, कार्यक्रम अधिकारी, शालादर्पण, जयपुर – सदस्य सचिव

2. B.Ed. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को द्वितीय चरण में इन्टर्नशीप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं पर समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाकर 'ऑनलाईन आंवटन' मोड्यूल पर जिलों में उपलब्ध रिक्त पदों पर निम्न वरीयता अनुसार कार्यक्रम अधिकारी, शालादर्पण, जयपुर द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से संशोधित विद्यालय आवंटित किया जावेगा । समिति के द्वारा परिवेदनाओं पर निम्न क्रमानुसार प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जावे ।

   1. पारस्परिक आधार पर
   2. दिव्यांग
   3. गर्भवती / 03 वर्ष से कम आयु की संतान वाली महिलाएँ
   4. समस्त महिलाएँ जिन्हें सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है
   5. समस्त पुरुष प्रशिक्षणार्थि जिन्हें सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है

www.rajteachers.com

6. विशेष विद्यालयों में नियुक्त प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य विद्यालय उनकी परिवेदना के आधार पर आवटिंत किये जावें
7. उर्दू/पंजाबी/सिंधी/गुजराती विषय के प्रशिक्षाणार्थियों को जिन विद्यालयों में संबंधित विषय संचालित है, वे विद्यालय आवंटित किये जावें ।

3. परिवेदनाओं के आधार पर इंटर्नशिप हेतू प्रशिक्षणार्थियों को 'ऑनलाईन आंवटन' मोड्यूल पर तकनीकी निदेशक, NIC, रमसा, जयपुर द्वारा B.Ed. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को द्वितीय चरण में इन्टर्नशीप करने के लिए राजकीय विद्यालयों का आवंटन किये जाने के पश्चात् जिले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षणार्थियों के अधिकतम संख्या के अनुसार अब शेष रिक्त सीटों वाले विद्यालयों का पब्लिक पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे ।

4. यदि किसी प्रशिक्षणार्थी द्वारा अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय में परिवेदनाएं प्रस्तुत की जाती हैं तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परिवेदनाओं को शाला–दर्पण की मेल–आई डी internsraj@gmail.com पर आवश्यक रुप से प्रेषित की जावें ।

5. प्राप्त समस्त परिवेदनाओं का निस्तारण दिनांक 20.01.2018 तक आवश्यक रूप से राज्य कार्यालय द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें ।

ज्योति चौहान
(उप शासन सचिव)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभारी)।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त राप्राशिप जयपुर
5. निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर
7. उपायुक्त द्वितीय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर
8. तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. रमसा जयपुर
9. समस्त उप निदेशेक माध्यमिक शिक्षा / प्रारंभिक शिक्षा
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा / प्रारंभिक शिक्षा
11. समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
12. कार्यक्रम अधिकारी शालादर्पण पोर्टल को प्रेषित कर लेख हैं कि ई–मेल के माध्यम से संबंधित को आदेश प्रसारित करें ।
13. रक्षित पत्रावली।

एस.एन.यादव
(अनुसंधान अधिकारी)

www.rajteachers.com